com>,
ur2020
;
com>,
om>,
n>,
;

प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में

जिलाधिकारी (संलग्न सूची के अनुसार),
उ0प्र0।

पत्रांकः– तक0सेल/1362/18–मु0नं0न0सृ0यो0/उपयोगिता प्रमाण पत्र/2023 दिनांकः 13 ,नवम्बर, 2025

विषयः– **मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (Work Completion Certificate) प्रेषित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–तक0सेल/1313/18–मु0मं0न0सृ0यो0/उपयोगिता प्रमाण पत्र/2023 दिनांक 27.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत योजना पर वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत/निविदित धनराशि के सापेक्ष निकायों को विभिन्न शासनदेशों के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. शासनादेश संख्या–1235/9–8–2022 दिनांक 27.06.2022 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में निर्माण कार्यों से संबंधित द्वितीय या तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तावों को प्रेषित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित निर्माण कार्य के लेटेस्ट फोटोग्राफ्स तिथि सहित अवश्य उपलब्ध हों। यह फोटोग्राफ निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के समय और निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् संबंधित कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राउण्ड में खींचा गया हो। फोटोग्राफ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर भी तिथि सहित अंकित हो।
2. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त संबंधित शासनादेश संख्या–1489/9–2022–84ज/22 दिनांक 08.08.2022 के प्रस्तर–16 में उल्लिखित है कि योजना में चयनित कार्यों/परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण मासिक आधार पर जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा अपर जिलाधिकारी/अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम जिसमें अधिशासी अभियन्ता एवं लेखा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हो, के द्वारा किया जायेगा। इस तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर फोटोग्राफ सहित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से एवं निदेशक, नगरीय निकाय के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही योजनान्तर्गत शासन द्वारा नियमानुसार द्वितीय/अवशेष किश्त अवमुक्त की जायेगी।

क्रमशः–2.....

Scanned with OKEN Scanner

निकायों को विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से धनराशि निर्गत की गयी है किन्तु काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (Work Completion Certificate) पोर्टल पर अपलोड नही किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार शासनादेश दिनांक 27.06.2022, दिनांक 08.08.2022 एवं निदेशालय के पत्र दिनांक 27.10.2025 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में **जिन कार्यों की प्रथम किश्त प्राप्त हुई है, का उपभोग करते हुए द्वितीय किश्त की मांग हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र** एवं **जिन कार्यों में पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है, उन कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र** (Work Completion Certificate) संलग्न प्रारूप 01 पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु योजना से आच्छादित निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम (संलग्न सूची के अनुसार) को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप 02 पर उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ।

सेवा में

1. नगर आयुक्त,
नगर निगम (संलग्न सूची के अनुसार),
उ0प्र0।

2. अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 / न0पं0 (संलग्न सूची के अनुसार),
उ0प्र0।

पत्रांकः– तक0सेल/1313 /18–मु0नं0न0सृ0यो0/उपयोगिता प्रमाण पत्र/2023 दिनांकः 27,अक्टूबर, 2025

विषयः– मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत योजना पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (Work Completion Certificate) प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत योजना पर वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत/निविदित धनराशि के सापेक्ष निकायों को विभिन्न शासनदेशों के माध्यम से धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. शासनादेश संख्या–1235/9–8–2022 दिनांक 27.06.2022 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में निर्माण कार्यों से संबंधित द्वितीय या तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृति किये जाने हेतु प्रस्तावों को प्रेषित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित निर्माण कार्य के लेटेस्ट फोटोग्राफ्स तिथि सहित अवश्य उपलब्ध हों। यह फोटोग्राफ निर्माण कार्य के पूर्व, निर्माण कार्य के समय और निर्माण कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् संबंधित कार्यदायी संस्था के तकनीकी अधिकारी तथा विभाग के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से निर्माण कार्य के बैकग्राउण्ड में खींचा गया हो। फोटोग्राफ पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर भी तिथि सहित अंकित हो।
2. मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त संबंधित शासनादेश संख्या–1489/9–2022–84ज/22 दिनांक 08.08.2022 के प्रस्तर–16 में उल्लिखित है कि योजना में चयनित कार्यों/परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण मासिक आधार पर जिलाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा अपर जिलाधिकारी/अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित टीम जिसमें अधिशासी अभियन्ता एवं लेखा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हो, के द्वारा किया जायेगा। इस तकनीकी टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर फोटोग्राफ सहित जिलाधिकारी/नगर आयुक्त के हस्ताक्षर से एवं निदेशक, नगरीय निकाय के माध्यम से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही योजनान्तर्गत शासन द्वारा नियमानुसार द्वितीय/अवशेष किश्त अवमुक्त की जायेगी।

क्रमशः–2.....

Scanned with OKEN Scanner

निदेशालय में योजनान्तर्गत द्वितीय/अवशेष किश्तों को अवमुक्त किये जाने हेतु कतिपय निकायों द्वारा भेजे जा रहे उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तावों में शासनादेशों का अनुपालन नही किये जाने के कारण देय धनराशि अवमुक्त किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत द्वितीय/अवशेष किश्त की धनराशि की मांग करते समय उपरोक्तानुसार सन्दर्भित शासनादेशों अनुरूप निकायों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जिन कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 एवं 2024–25 में पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है, उन कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र (Work Completion Certificate) अपने से संबंधित संलग्न प्रारूप 01 अथवा 02 पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराते हुए कार्यों के सापेक्ष बचत की धनराशि निर्धारित कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ की योजना से अच्छादित निकायों को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अनुज कुमार झा)
निदेशक।

Scanned with OKEN Scanner

Format - I (for NPP / NP)

WORK COMPLETION CERTIFICATE

1 - Name of Scheme - Chief Minister Nagar Srijan Yojna

2 - Name of ULB -

Sr.No	Description	Details	
1	Name of Work		
2	G.O. No.& Date of Financial Sanction		
3	Sanctioned Amount	Rs.	
4	Fund Received from Directorate		
	(i) G.O.No.& Date-	Rs.	
	(ii)G.o.No.& Date-	Rs. Total - Rs.	
5	Date of Tender	Date -	
6	Cost of Tender		
7	Agreement / Work Order No.& Date		
8	Date of Start & Date of Completion	Dt. - Dt.	
9	Date of Completion of Work		
10	Date of Final Measurement		
11	Physical Progress	Provisions	Achievement
12	Amount of Fines & Panality, if any	Rs.	
13	Financial Progress		
14	Balance Fund (6 - 13) Deposited in Designated Account Letter no & date	Rs.	
15	Geo Tag Place & Dated clear Coloured Photograph of site, before start of work, during execution & after completion of work, in presence of JE & EO		
16	Site Plan after Completion of Work, duly marked.		
17	Joint Inspection Report of Technical Team		

This is to Certified that -

1) The above mentioned work has been carried out & completed as per terms & conditions of sanctioned Estimate & Plan, RFP (NIT)/Work Order. Work at present is satisfactory.
2) There is no outstanding dues of Agency/Contractor at ULB Level.

Junior Engineer

Executive Officer

Scanned with OKEN Scanner

Format - II (for Nagar Nigam)

WORK COMPLETION CERTIFICATE

1 - Name of Scheme - Chief Minister Nagar Srijan Yojna

2 - Name of ULB -

Sr.No	Description	Details	
1	Name of Work		
2	G.O. No.& Date of Financial Sanction		
3	Sanctioned Amount	Rs.	
4	Fund Received from Directorate		
	(i) G.O.No.& Date-	Rs.	
	(ii)G.o.No.& Date-	Rs. Total - Rs.	
5	Date of Tender	Date -	
6	Cost of Tender		
7	Agreement / Work Order No.& Date		
8	Date of Start & Date of Completion	Dt. - Dt.	
9	Date of Completion of Work		
10	Date of Final Measurement		
11	Physical Progress	Provisions	Achievement
12	Amount of Fines & Panality, if any	Rs.	
13	Financial Progress		
14	Balance Fund (7 - 11) Deposited in Designated Account Letter no & date	Rs.	
15	Geo Tag Place & Dated clear Coloured Photograph of site, before start of work, during execution & after completion of work, in presence of JE, AE & EE		
16	Site Plan after Completion of Work, duly marked.		
17	Joint Inspection Report of Technical Team		

This is to Certified that -

1) The above mentioned work has been carried out & completed as per sanctioned Estimate & Plan, RFP (NIT)/Work Order. Work at present is satisfactory.
2) There is no outstanding dues of Agency/Contractor at ULB Level.

Junior Engineer **Assistant Engineer** **Executive Engineer**

CHIEF ENGINEER

Scanned with OKEN Scanner